

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उद्योग में श्रमिकों की स्थिति

3088. श्री अमरा राम:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयुष उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की जीवन स्थितियां कैसी हैं;
- (ख) इस संबंध में उनके वेतन, पदोन्नति और स्थायी आदेश का ब्यौरा क्या है;
- (ग) आयुष कम्पनियों द्वारा श्रमिकों के प्रति उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
- (घ) औषधियों की गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया क्या है तथा गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में लिए गए नमूनों की संख्या क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और
- (ङ) आयुष औषधियों के कारोबार में विदेशी कम्पनियों की कितनी हिस्सेदारी है?

उत्तर

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ग) : इस मंत्रालय में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) : आयुष औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण करने संबंधी कार्य पद्धतियां निम्न प्रकार हैं:

(i) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। औषध नियम 1945 की अनुसूची-न में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए निर्धारित की गई अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) के अनुसार, सभी अपरिष्कृत सामग्रियों के नमूने लिए जाएंगे और या तो संस्थागत आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी विशेषज्ञों (गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकी व्यक्ति) या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा इसकी जांच की जाएगी और सत्यापन के बाद अनुमोदन प्राप्त होने पर ही इसका उपयोग किया जाएगा। औषध नियम, 1945 की अनुसूची ड-1 में निर्धारित की गई अच्छी होम्योपैथी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) के अनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग का उपयोग अपरिष्कृत सामग्रियों की पहचान, गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाएगा। औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, औषध निरीक्षक परिसर और बाजार से किसी भी औषधि या प्रसाधन सामग्री के नमूने लेता है और उनकी जांच या विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषक को भेजता है। औषध नियम 1945 के नियम 166 के अनुसार, सरकारी विश्लेषक अधिनियम के अध्याय IV-क के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निरीक्षकों या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा ऐसे औषधियों (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी या होम्योपैथी) जो उन्हें भेजी जाएंगी, के नमूनों का विश्लेषण या जांच करेगा अथवा विश्लेषण या जांच की जा सकेंगी और जांच या विश्लेषण के परिणामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

जैसा कि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित किए गए अनुसार, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और औषध लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू करने का अधिकार, संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के साथ निहित है।

(ii) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने, अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (पीसीआईएम एंड एच) फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की है। पीसीआईएम एंड एच उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत दिए गए नियमों के अनुसार सरकारी एजेंसियों से नमूने प्राप्त करते हुए अपीलिय औषध जांच प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। गत पांच वर्षों के दौरान, पीसीआईएम एंड एच द्वारा राज्य औषध नियंत्रण

प्राधिकारियों और माननीय राजस्थान न्यायालय से प्राप्त एएसयू और एच औषधियों के कुल 646 नमूनों की जांच की गई है जिसका विवरण संलग्नक पर उपलब्ध है।

(ड) : इस मंत्रालय में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 से अब तक राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणों और माननीय राजस्थान न्यायालय से प्राप्त एएसयू एंड एच औषधियों के नमूनों की पीसीआईएम एंड एच द्वारा की गई जांच का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	होम्योपैथी			आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी		
	नमूना जांच	गुणवत्ता मानक के अनुसार	गुणवत्ता मानक के बिना	नमूना जांच	गुणवत्ता मानक के अनुसार	गुणवत्ता मानक के बिना
2019-2020	122	121	01	10	03	07
2020-2021	143	143	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2021-2022	292	290	02	शून्य	शून्य	शून्य
2022-2023	89	89	शून्य शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2023-2024	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2024-2025 अभी तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	646	643	03	10	03	07